कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

निविदा सूचना प्रारूप

क्रमांक /378/स्वा.वि.यु.प्रो.यो/जि.पं./2016–17 राजनांदगांव,दिनांक 11 /04/2017

निर्माताओं तथा उनके अधिकृत विक्रेताओं से मिनी स्टेडियम में जीम/खेल उपकरण क्रय किये/लगाये जाना है। जीम/खेल उपकरण प्रदान करने हेतु अनुमानित संख्या संलग्न सूची अनुसार हैं, मोहर बंद निविदांए आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय के सूचना पटल पर देखा व जिला पंचायत, राजनांदगांव के वेब साइट www. zprajnandgaon. gov.in पर अवलोकन एंव डाउनलोड किया जा सकता है।

निविदा जमा करने की अतिंम तिथि 01–05–2017 समय अपरान्ह 03.00 बजे तक जिला पंचायत, राजनांदगांव।

निविदा खोलने की तिथि 01–05–2017 तक समय अपरान्ह 04.00 बजे से जिला पंचायत, राजनांदगांव।

(चंदन कुमार)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, राजनांदगांव

Website :- www.zprajnandgaon.gov.in, Email :- zp-rjn.cg@nic.in
Phone No. (07744) 224060, 226495 Fax :- (07744) 220140

1. जिम सामग्री :—

क्रं.	समान का नाम	क्रय हेतु अनु. संख्या	रिमार्क	निर्माता कंपनी का नाम	एक नग हेतु दर
1	2	3	4	5	6
1.	Out door Open Multigym	8	ISO/ISI MARK के स्तर उच्च गुणवत्ता स्तरीय निर्माता फर्म द्वारा		
2.	Air Walker	8	ISO/ISI MARK के स्तर उच्च गुणवत्ता स्तरीय निर्माता फर्म द्वारा		
3.	Chinup & Dipping Bars	8	ISO/ISI MARK के स्तर उच्च गुणवत्ता स्तरीय निर्माता फर्म द्वारा		

2. खेल सामग्री :—

A	फुटबाल सामग्री				
1	फुटबाल नं. 5	16 नग	ISO/ISI MARK के स्तर उच्च गुणवत्ता स्तरीय निर्माता फर्म द्वारा		
2	फुटबाल गोल पोस्ट विथनेट	8 सेट	ISO/ISI MARK के स्तर उच्च गुणवत्ता स्तरीय निर्माता फर्म द्वारा		
B	व्हालीवाल सामग्री				
1	व्हालीवाल पोल विथनेट	8 सेट	ISO/ISI MARK के स्तर उच्च गुणवत्ता स्तरीय निर्माता फर्म द्वारा		
2	व्हालीवाल	16 नग	ISO/ISI MARK के स्तर उच्च गुणवत्ता स्तरीय निर्माता फर्म द्वारा		

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, राजनांदगांव

नियम एंव शर्ते :–

1. निविदा रजिस्टर्ड पोष्ट ए.डी./स्पीड पोष्ट/पी.एड.टी. विभाग से अधिकृत कूरियर के द्वारा प्राप्त की जावेगी अथवा कार्यालय में कार्यालयीन दिवस में प्राप्त की जावेगी ।
2. रजिस्टर्ड डाक द्वारा निविदाएं निर्धारित अतिम तिथि के कार्यालयीन समय से 3.00 बजे अपरान्ह तक ही प्राप्त किया जावेगा । इसके बाद प्राप्त होने वाली निविदा को स्वीकार नहीं किया जावेगा ।
3. निविदा दिनांक को अपरान्ह 4:00 बजे उपस्थित निविदाकर्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष जिला पंचायत परिसर में खोला जावेगा ।
4. निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत किया जावेगा । एक लिफाफे में अमानत राशि तथा दूसरे लिफाफे में निविदा पत्र लिखा जाएगा । अमानत राशि वाले लिफाफे को पहले खोला जाएगा, तथा पर्याप्त अमानत राशि होने पर ही दूसरे लिफाफे अर्थात निविदा वाले लिफाफे को खोला जाएगा, अन्यथा निविदा निरस्त माना जायेगा ।
5. जो भी निविदा निर्धारित अतिंम तिथि व समय के पश्चात प्राप्त होंगी, वह खोली नही जायेगी तथा वापस लौटा दी जायगी ।
6. अमानत राशि – प्रत्येक निविदा के साथ सामाग्री की कुल संख्या के अनुपात में 3 प्रतिशत सुरक्षा निधि बैंक ड्राफ्ट देना होगा **जो कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव के पक्ष में देय होगा** । यह अमानत राशि सफल निविदाकार की रोककर, शेष की 15 दिवस में लौटा दिया जायेगा ।
7. निविदा के साथ वाणिज्यकर विभाग मं पजींयन होने का जीवित प्रमाण पत्र, जहॉ पर वाणिज्य कर पंजीयन आवश्यक हो, की छायाप्रति निविदा के साथ सलंग्न की जावे, इसके अलावा फर्म ने आयकर अदा किया है एंव उस पर कोई बकाया नही है, इसका आयकर समाशोधन पत्र प्रस्तुत किया जावे ।
8. निविदाकार निविदा की नियम एंव शर्ते जिला पंचायत राजनांदगांव के सूचना पटल एंव वेबसाइट साइट WWW. ajnandgaon.gov.in में देखा व डाउनलोड किया जा सकता है ।
9. निविदाकर्ता किसी एक या एक से अधिक अथवा उल्लेखित सभी सामग्रीयों हेतु निविदा भर सकता है। इसके लिए उसे सभी वर्ग हेतु अलग–अलग निविदा भरनी होगी
10. निविदाकर्ता अपने टीन नंम्बर की कापी निविदा के साथ सलंग्न करें ।
12. वारंटी अवधि तक अमानत राशि के रूप में प्रस्तुत डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा रहेगा ।
13. जिम/खेल सामग्री का निरीक्षण में सही एंव उपयुक्त पाये जाने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी ।
14. निविदाकर्ता/फर्म छ.ग. राज्य शासन द्वारा पंजीकृत होना अनिवार्य है । निविदा के साथ पंजीकरण की प्रति सलंग्न करें ।
15. निविदाकर्ता की निविदा किसी भी स्तर पर अस्वीकृत की जा सकती है । यह अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव के पास सुरक्षित है ।
16. क्रय की गई सामग्रियों का भुगतान ऐजंसी द्वारा निर्धारित कार्यालय में स्थापित करने तथा क्रय समिति एंव तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा भौतिक /गुणवता के सत्यापन पश्चात ही किया जायेगा ।
17. सामग्री की आपूर्ति निविदा स्वीकृत होने के 30 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना होगा अन्यथा प्रति दिवस 2 प्रतिशत् की दर से पेनाल्टी आरोपित की जावेगी ।
18. संबधित एजेन्सी /प्रदायकर्ता द्वारा निम्न आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा :–
    1. **TIN Number** (छ.ग.वाणिज्यकर विभाग में जीवित पंजीयन का प्रमाण पत्र)
    2. विगत तीन वर्षो का आयकर रिटर्न (वर्ष 2013–14, 2014–15 एंव 2015–16)
    3. **ISI /ISO** के मानक वैघानिक प्रमाण पत्र (सामग्रीवार)
    4. अधिकृत डीलरशीप (अधिकृत विकेता का कम्पनी का प्रमाण पत्र)
    5. **PAN CARD**

Website :- www.zprajnandgaon.gov.in, Email :- zp-rjn.cg@nic.in
Phone No. (07744) 224060, 226495 Fax :- (07744) 220140

19. स्थायी रूप से स्थापित किये जाने वाली सामग्री(यंत्र) को निर्धारित किये गए मिनी स्टेडियम में इन्सटाल कराना होगा तथा गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना होगा ।
20. कम से कम एक वर्ष की गारन्टी सामग्री एंव इन्सटालेशन कार्य का देना होगा ।
21 समिति द्वारा सत्यापन पश्चात ही भुगतान संभव हो सकेगा ।
22 निविदा के साथ केटलॉग भी सलंग्न करना होगा, जिससे स्थायी सामग्रीयों का नमूना मिलान किया जा सके । यदि 1 वर्ष के भीतर स्थायी यत्रों में किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी उत्पन्न होती है या पूर्जे टूटते है तो रोकी गई सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी ।
23. स्वीकृत निविदा अनुसार कार्यालय द्वारा दिये गए क्रयादेश /कार्यादेश अनुसार निर्धारित समाग्री के अलग–अलग 8 किट तैयार कर संबधित मिनी स्टेडियमों में सामग्री आपूर्ति करने की जिम्मेदारी फर्म की होगी । इस हेतु पृथक से कोई अतिरिक्त परिवहन व्यय की राशि कार्यालय द्वारा नहीं दी जावेगी , अर्थात सामग्री आपूर्ति का परिवहन क्रय फर्म द्वारा स्वय वहन किया जावेगा ।
24. संबधित फर्म द्वारा खेलकूद सामाग्री हेतु यदि किसी ब्राण्ड /कम्पनी की सामग्री की राशि कोड की गई है का नाम भी अकिंत करना होगा । (केटलाग)
25. स्थायी सामग्री के अलावा एकल छोटी सामाग्रीयों का नमूना प्रस्तुत करना होगा ।
27 आबंटन –व्यय की दृष्टि से सामग्रियों की संख्या घट–बढ़ सकती है ।
28 किसी भी परिस्थिति में अतिंम निर्णय क्रय समिति की मान्य होगी ।
29. नमूने के अनुसार सामग्री में या इन्सटाल संबधी किसी भी प्रकार का कोई तकनीकी त्रुटि पायी जाने की स्थिति में भुगतान संभव नहीं होगा तथा संबंधित फर्म की सामग्री की निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
30. जीम सामग्री की छाया चित्र अवलोकन कर सकते है ।
31 शासन द्वारा निर्धारित वेट टैक्स इत्यादि की कटौती शासन के पक्ष में अनिवार्यतः की जावेगी ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, राजनांदगांव

Website :- www.zprajnandgaon.gov.in, Email :- zp-rjn.cg@nic.in
Phone No. (07744) 224060, 226495 Fax :- (07744) 220140

पृ.क्रमांक 379 / जि.पं. / स्वा.वि.यु.प्रो.यो / सामग्री. / 2016-17 राज.,दिनांक 11 / 4 / 2017

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को सूचनार्थ ।
2. आयुक्त सह संचालक पंचायत, संचालनालय छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ ।
3. आयुक्त, दुर्ग संभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
4. कलेक्टर, राजनांदगांव को सूचनार्थ ।
5. जिला सूचना एंव विज्ञान अधिकारी राजनांदगांव की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
6. श्री शैलेश बक्शी, कम्प्युटर आपरेटर को जिला पंचायत,राजनांदगांव के वेबसाईट में प्रविष्टी हेतु प्रेषित ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, राजनांदगांव(छ.ग.)

Website :- www.zprajnandgaon.gov.in, Email :- zp-rjn.cg@nic.in
Phone No. (07744) 224060, 226495 Fax :- (07744) 220140